<u>**न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं**</u>

पीठासीन अधिकारी ::: स्वाति(तहसीलदार)

मिसल नं. ::: 162 / 2023

सरकार बनाम् श्यामलाल, विक्रम पुत्रान बलबीर, सुमन पत्नी मुकेश जाति मेघवाल निवासी फरट

<u>**राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत**</u>

निर्णय दिनांक : 04.10.2023

<u>निर्णय</u>

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल श्यामलाल उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायलान श्यामलाल, विक्रम पुत्रान बलबीर, सुमन पत्नी मुकेश जाति मेघवाल, निवासी–फरट द्वारा रोही मौजा फरट की भूमि ख.नं. 226 कुल रकबा 16.69 है0 किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.30 है0 भूमि पर पक्का मकान, चारदिवारी, बाड़ा बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायलान को नोटिस जारी किया गया। गैर सायलान विक्रम और सुमन बावजूद सूचना अनुपस्थित। अतः गैर सायलान विक्रम और सुमन के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

गैर सायल श्यामलाल ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया। जिसमें अपना कब्जा पुराना बताया है। अपने कब्जे के विधिक होने के समर्थन में अन्य कोई साक्ष्य / सबूत पेश नही किया। गैर सायल का जवाब संतोषप्रद नहीं माना जा सकता है। चूंकि भूमि की किस्म गै. मु.जोहड़ है एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में डी.बी. अपील सं. 1536 / 03 में दिये गये निर्णय के अनुसार नादी, नाले, जोहड़, पायतन आदि भूमि एवं जल प्रवाह व जल संग्रहण की भूमि के आवंटन / नियमन पर प्रतिबन्ध है।एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जगपाल सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ पंजाव व अन्य CIVIL APPEAL NO.1132 /2011 @ SLP(C) No.3109/2011 (Arising out of Special Leave Petition (Civil) CC No. 19869 of 2010) निर्णय दिनांक 28 जनवरी 2011 के द्वारा आवंटन एवं प्रतिबन्धित भूमियों की श्रेणी में आती है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायलान को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उसके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 120 रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04..10.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० स० 4 के पृष्ठ सं. 07 पर वर्ष 23-24 में रूपये 120/- कायम किए राजस्व लेखाकार

(स्वाति)

तहसीलदार, सूरजगढ़